समाचार-प्रकाशनार्थ:-

देश में स्वच्छता से हो रतलाम नगर की पहचान

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत सफाई मत्र समूह ने रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देकर शहर को नम्बर-1 बनाने का संकल्प दिलाया।

रतलाम 28 दिसम्बर । स्वच्छता ही हमारी पहचान है**ए** हमें इसे जन जन तक पहुंचाना है। इसके लए सभी को जागरूक होना पड़ेगा। स्वच्छता से ही शहर की पहचान होती है। जहां स्वच्छता होती है वहां देवता निवास करते हैं। इस लए जिस प्रकार हम अपने घरों के अंदर साफ सफाई करते हैं उसी प्रकार आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने में मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप घर के अंदर से जो भी कचरा सफाई के दौरान निकालें उसे एक जगह एकत्रित करें। ग लयों में न फैलाएं। अलग-अलग चार डस्टबीनों में कचरा एकत्र कर कचरा संग्रहण वाहन में ही इसका निपटान करे। उक्त बाद पूर्व महापौर श्री षैलेन्द्र डागा ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के संदर्भ में अनेक समाजसेवकों को स्वच्छ रतलाम-सुंदर रतलाम का संकल्प दिलाते हुए कही।

स्वच्छ सर्वेक्षण अ भयान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास कया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अ भयान 2021 के तहत शहर में वशेष साफ-सफाई अ भयान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मत्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरुक कया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग कया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों**ए** बागीचों**ए** खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से कया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अ धकारी एपी संह ने शहरवा सयों से अपील की है क वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान सोमवार को सफाई मत्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवा सयों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान कया गया है। इस दौरान को वड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान कया गया क जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नही हो

पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोगए दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी व मलबा फैलाने पर 20 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

फुटेज के आधार पर षूज षॉप पर कया जुर्माना

रतलाम 28 दिसम्बर । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्था पत सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पु लस कन्ट्रोल रूम पर 3 पा लयों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। फुटेज के आधार पर शहीद चौक स्थित शूज शॉप पर 500 रूपये का जुर्माना कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व मलबा फैलाने पर दिनेश सोलंकी हाट रोड पर 1000ए शादाब फर्नीचर हाट रोडए फेमस स्टीलए महाकाल नमकीनए लालचन्द राठौर पर 250.250ए कमलए रोहितए मुन्नवरए बबलूए रियाजए कशोर कुमार पर 100.100ए सुनीलए दीपक प्रजापतए भूरीबाईए धभाईजीए आकाशए कालू बाथम व कमल पर 50.50 रूपये का जुर्माना कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त

67 दिनों में 107 वॉल्व व 476 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 28 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 28 दिसम्बर तक 107 वॉल्व व 476 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 28 दिसम्बर सोमवार को अलकापुरी शनि मंदिर के पासए जवाहर नगर मुख्य मार्गए कलीमी कालोनी उद्यान के बाहरए दिलीप नगरए बजरंग नगरए स्टेशन रोड जीवन लॉज के सामनेए रामबागए दानीपुरा व हाकमवाड़ा में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त करवाये जाने के साथ ही अलकापुरी राजीव नगर मुख्य मार्गए डोंगरे नगर टंकीए उंकाला रोड पर वॉल्व मरम्मत कार्य करवाया गया। इसके अलावा बजरंग नगर पादरी मोहल्ला में 40 फीट लाईन डलवाई गई।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नगर के व भन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 28 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सु वधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य वभाग द्वारा बाल च कत्सालयए जिला च कत्सालयए रैन बसेरा स वक सेन्टरए पांजरा पोलए महू रोड बस स्टैण्डए रेलवे स्टेशनए नगर निगम फायर ब्रिगेड सहित नगर के व भन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण व शौच के लये शौचालय के उपयोग की दी समझाईश

रतलाम 28 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा वार्ड क्रमांक 7 व 14 सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी। टीम आस्था के सदस्यो द्वारा शवशंकर कालोनीए प्रताप नगरए सुभाष नगर में जाकर नागरिकों को शौच हेतु शौचालय के उपयोग की जानकारी दी।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 28 दिसम्बर। रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के

लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी। स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 28 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

दिलबहार चौराहे पर आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

बकाया रा श जमा कर अ धभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने **55ए36ए854़.** संपत्तिकर व **22ए48ए660़.** जलकर जमा कराया

संपत्तिकर व जलकर की बकाया रा श जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम **28** दिसम्बर । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (को वड-**19द्ध** वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी**ए** उद्योग-धन्धे में गरावट**ए** स र्वस सेक्टर आदि में ष थलता परिल क्षत होने के फलस्वरूप निगम से संबं धत करों**ए** उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुष्त जमा कराने पर अ धभार (पेनल्टी) में **31** दिसम्बर **2020** तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया रा ष जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर **26** अक्टूबर से आयोजित कये गये है जो **30** दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर**ए** जलकर**ए** दुकान**ए** गुमटी करा या**ए** लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष एक मुष्त रा ष जमा कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ ले सकते है।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर **2ए38ए224़.** व जलकर **43ए460़.ए** मालवा नगर ष वर में संपत्तिकर **3ए66ए429़.** व जलकर **43ए830़.ए** जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर **2ए69ए336़.** व जलकर **41ए850़.ए** वनोबा नगर पानी की टंकी के पास ष वर में संपत्तिकर **3ए94ए652़.** व जलकर **1ए06ए050़.ए** अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास ष वर में संपत्तिकर **4ए54ए616़.** व जलकर **84ए000़.ए** तिरूपति नगर में ष वर में संपत्तिकर **55ए700़.** व जलकर **14ए800़.ए** कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर **65ए133़.** व जलकर **18ए430़.ए** इन्द्रलोक नगर ष वर में संपत्तिकर **1ए04ए310़.** व जलकर **37ए520़.ए** कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर **1ए63ए070़.** व जलकर **41ए200़.ए** प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर **54ए244़.** व जलकर **31ए700़.ए** डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर **1ए87ए800़.** व जलकर **13ए500़.ए** हाट रोड माताजी मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर **89ए439़.** व जलकर **29ए500़.ए** डॉ0 मेहरा न र्संग होम काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर **2ए23ए843़.** व जलकर **80ए000़.ए** वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर **78ए232़.** व जलकर **24ए800़.ए** दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर **95ए424़.** व जलकर **46ए350़.ए** बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर **2ए61ए000़.** व जलकर **45ए500़.ए** लक्कड़पीठा ष वर में संपत्तिकर **2ए58ए000़.** व जलकर **90ए310़.ए** धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर **2ए39ए000़.** व जलकर **1ए58ए845़.ए** आनन्द कालोनी ष वर में संपत्तिकर **94ए633़.** व जलकर **24ए500़.ए** प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर **1ए31ए093़.** व जलकर **68ए580़.ए** महावीर नगर ष वर में जलकर **45ए550़.ए** पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर **5ए91ए492़.** व जलकर **1ए31ए930़.ए**

चौगानिया भेरू मंदिर ष वर में संपत्तिकर 1ए71ए109६. व जलकर 1ए26ए280६.ए सायर चबुतरा षक्षा वभाग के पास आयोजित ष वर में संपत्तिकर 1ए55ए000६. व जलकर 1ए24ए290६.ए चौमुखी पुल ष वर में संपत्तिकर 2ए65ए000६. व जलकर 2ए31ए675६.ए षास्त्रीनगर ष वर में संपत्तिकर 4ए03ए000६. व जलकर 2ए27ए300६.ए दो बत्ती ष वर में संपत्तिकर 2ए46ए000६. व जलकर 3ए23ए910६. की एक मुष्त बकाया रा ष जमा कराकर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ लया। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेंें 55ए36ए854६. संपत्तिकर व 22ए48ए660६. जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के तहत वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेषन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क षासन द्वारा निगम से संबं धत करों की एक मुष्त रा ष जमा कराने पर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ नागरिक अ धक से अ धक ले सकें इस हेतु वार्ड वार ष वर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे ष वर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्त रा ष जमा कर दी जा रही अ धभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अ धभार की रा ष रूपये 10ए000६. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 10ए000६. ;दस हजार) से अ धक तथा रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिषत की छूटए अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) से 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अ धभार पर लागू होगी

तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया रा ष वार्डवार आयोजित बकाया ष वर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले 487 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 28 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 28 दिसम्बर तक 487 मवे शयों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 28 दिसम्बर तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 487 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 28 दिसम्बर सोमवार को कस्तुरबा नगरए डोंगरे नगर व कोमल नगर से 5 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।
नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६. वसूल करेगा
स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/28ण्12ण्2020/न.पा.निगमए रतलाम.